


वार्षिक लेखा

2019-20



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
(विषय सूची)

क्र. सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	i-iv
1	तुलन पत्र	1
2	आय-व्यय खाता	2
3	प्राप्ति तथा भुगतान खाता	3-4
4	अनुसूची 1 से 16	5-14
5	31.03.2020 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17)	15-18
6	31.03.2020 को बनाए गए तुलन-पत्र के गये खातों पर आकस्मिक देयताएं पर टिप्पणी (अनुसूची -18)	19-23



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
निम्नोप: भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

विषय- वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 2019-20 के सत्यापित लेखाओं की प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रोषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों को शांसी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

अनुसंगक: यथोपरि

भवदीया,

हस्ता०

(रिना अकोइजम)

प्रधान निदेशक

संख्या: PDA/Infra/HR-I/3-16/20-21/116

दिनांक - 10/11/20

प्रतिलिपी:-

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV-बी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

रिना

(रिना अकोइजम)

प्रधान निदेशक

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2020

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2020 and Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report **have not been drawn up** in the uniform format prescribed by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Rule 33 (1 and 2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that

A. Significant Accounting Policies (Schedule 17)

- (1) In compliance to its Accounting Policy No. 1(b), NCRPB is bifurcating its Receipts and Payments Account and Schedules pertaining to its Income and Expenditure Account in Capital and Revenue heads. This is inconsistent with the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the report for the financial year 2017-18 & 2018-19. However, no corrective action has been taken by the management.
- (2) Accounting Policy No. 3(a) states that "All expenses are recognized on accrual basis, except employees' personal claims/reimbursements". The above accounting policy is inconsistent with the accrual concept of accounting and the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the report

for the financial year 2016-17, 2017-18 and 2018-19, but no corrective action has been taken by the management.

B. Grants-in-Aid

During 2019-20, NCRPB has received Grants-in-Aid of Rs.50 crore (Contribution / Capital) and Rs.5.10 crore (Salary & General). NCRPB utilized the entire Grants-in-Aid of Rs.55.10 crore received during the year (as per Utilization Certificates submitted by the management).

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2020; and
- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**



(Rina Akoijam)

**Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi**

Place: New Delhi

Dated: 10 November 2020

ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

(on the annual accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended on 31 March 2020)

1. Adequacy of Internal Audit System.

There is no sanctioned post of internal auditor. It is strongly recommended that the internal audit division may be strengthened to commensurate with the operations of the Board.

2. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies were observed in internal control system of NCRPB:

- (i) No Audit Committee has been formed to supervise its financial reporting process.
- (ii) There is no Whistle Blower Policy in NCRPB.
- (iii) There is no operational, financial and accounting manual or standard operating procedures for effective accounting and control.
- (iv) There is no approved fraud detection and prevention policy.
- (v) NCRPB has not prepared any flow chart listing steps in various operations, procedures and activities which are specific to its working.
- (vi) During the year 2019-20, only one meeting of NCRPB Board was held inspite of NCRPB Rules, 1985, prescribing for atleast once in every six months.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

A committee was constituted for physical verification of stock of consumable items and fixed assets by the competent authority. Review of 'Committee Report' revealed the following deficiencies in the procedure of physical verification:

- Physical verification was undertaken only for fixed assets / consumable items procured / added during 2019-20. However, no physical verification of assets purchased prior to the year 2019-20 was done. Thus, the excess or shortages, if any, of the assets procured prior to 2019-20 was not ascertainable.
- A test check of Fixed Assets Register revealed that location of certain assets was not mentioned against the assets.

4. System of Physical Verification of Inventory

During the year 2019-20, physical verification of NCR Books and publications was carried out by a committee formed by the management. The committee in its report stated that there is no shortage of books as per the balance shown in the register.

5. Regularity in payment of statutory dues

NCRPB is regular in payment of statutory dues.



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2020 के अनुसार तलन पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोष/पूंजी निधि और देयताएँ			
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूंजी निधि)	1	55631038751	52018633411
विशेष आरक्षित	2	0	0
निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) कोष	3	1400	1400
सुरक्षित ऋण	4	0	0
असुरक्षित ऋण	5	9923753993	10086737691
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	6	584925295	547759205
कुल		66139719439	62653131707
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पत्तियां	7	5844324	6344309
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	323227451	429925225
एन.सी.आर.टी.सी. मे योगदान-निवेश	9	50000000	50000000
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	65760647664	62166862173
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)			
योग		66139719439	62653131707
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद (योगदान)		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
अनुदान/इमदाद (वेतन एवं अन्य)		51000000	55600000
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनो की बिक्री से आय		1125	1800
अर्जित ब्याज	11	4250677074	3911473367
अन्य आय	12	31813695	24333841
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		(601)	(1030)
योग (क)		4333491293	3991407978
व्यय			
स्थापना व्यय	13	141123317	131129288
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	24425182	21200824
बाजार ऋण पर व्यय	15	1048750886	358579347
मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप		1029052	1193982
अवसरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय		0	0
योग (ख)		1215328437	512103441
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		3118162856	3479304537
पूर्व अवधि व्यय	16	5757516	(500804)
बांड रिडम्प्शन रिज़र्व (बी.आर.आर.) में अंतरित		0	0
उप योग		5757516	(500804)
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित		3112405340	3479805341
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	पूँजी	आय	कुल	पूँजी	आय
I. आरम्भिक शेष						
क) हाथ में रोकड़	0	0	0	8000	8000	0
ख) बचत खाते में शेष	3085188020	3085188020	0	276106557	276106557	0
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	663470	663470	0	3014840	3014840	0
घ) (एनपीएस) बचत खाते में शेष	0	0	0	0	0	0
ङ) नकद एवं नकद तुल्य	1410	1410	0	380	380	0
उप योग	3085852900	3085852900	0	279129777	279129777	0
II) प्राप्त अनुदान						
क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से	551000000	500000000	51000000	555600000	500000000	55600000
ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से आर आर.टी.एस. अध्ययन के लिए	0	0	0	0	0	0
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभ निधि)						
क) बचत खाते पर ब्याज	35627	0	35627	152348	0	152348
ख) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि पर ब्याज	29161704	0	29161704	18299567	0	18299567
IV) प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	3351698639	3351698639	0	2954948559	2954948559	0
ख. बचत बैंक	26781474	26781474	0	70159810	70159810	0
ग. बैंक जमा पर	384251469	384251469	0	770039670	770039670	0
घ) स्टाफ ऋण पर प्राप्त ब्याज	231045	0	231045	217910	0	217910
ङ) आयकर वापसी पर ब्याज	20520493	20520493	0	0	0	0
V) अन्य आय						
क. रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	1125	1125	0	1800	1800	0
ख. विविध प्राप्तियाँ	0	0	0	2000	2000	0
ग. सूचनाधिकार (आर.टी.आई.) शुल्क	640	0	640	2096	0	2096
घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	0	0	0	0	0	0
ङ. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	21701	21701	0	21200	5100	16100
च. सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ	0	0	0	0	0	0
छ. पुराने समाचार पत्र की बिक्री	0	0	0	2360	0	2360
ज. ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क	0	0	0	0	0	0
VI) उधार ली गई धनराशि						
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	0	0	0	0	0	0
ख) के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	0	0	0	2791681776	2791681776	0
VII) अन्य प्राप्तियाँ						
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	4507503633	4507503633	0	3295708599	3295708599	0
ख) ऋण पर अधिक वापसी	455390	455390	0	122055	122055	0
ग) भुनाई गई सावधि जमा	10200000000	10200000000	0	64799999900	64799999900	0
घ) भविष्य निधि/एन.पी.एस. निवेशों की परिपक्वता	547642464	0	547642464	304634342	0	304634342
ङ) बयाना राशि/ जमानत राशि	54289	14644	39645	0	0	0
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	546070	0	546070	508746	0	508746
छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	866997	0	866997	340455	0	340455
ज) जी.आई.एस. धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियाँ	23809	0	23809	22350	0	22350
झ) जी.पी.एफ. अंशदान/अग्रिम/वापसी	6177644	0	6177644	5911522	0	5911522
ण) एन.पी.एस. वसूली	977661	0	977661	682476	0	682476
ट) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती	6745868	0	6745868	6309114	0	6309114
ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम/शुल्क की वापसी	309113	309113	0	0	0	0
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से सम्बंधित वसूली	7000	0	7000	5600	0	5600
ड) अवकाश वेतन एवं सेवानिवृत्ति योगदान	0	0	0	619783	0	619783
ण) आयकर वापसी	124366687	124366687	0	0	0	0
त) बयाना / सुरक्षा जमा	2000	2000	0	152000	152000	0
योग	22845235442	22201779268	643456174	75855275815	75461951046	393324769

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

सदस्य सचिव

ह/-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि ₹ में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	पूँजी	आय	कुल	पूँजी	आय
I. व्यय						
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 के अनुरूप)	92383017	41797242	50585775	97095362	49352090	47743272
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप)	30419675	20036802	10382873	26162644	13884522	12278122
ग) बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	339861013	339861013	0	299618719	299618719	0
II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण	7959600000	7959600000	0	9934419000	9934419000	0
III. किए गए निवेश व जमा						
क) सावधि जमा (एफ.डी.आर.) में निवेशित राशि	2600000000	2600000000	0	60909999900	60909999900	0
ख) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्त लाभ	446897606	0	446897606	406900000	0	406900000
IV. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय						
क) अचल परिसम्पत्तियों का क्रय	202860	202860	0	91850	91850	0
V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी	0	0	0	0	0	0
VI. ऋणों व अग्रिमों का भुगतान						
क) स्टाफ को विविध अग्रिम	799964	0	799964	1288649	0	1288649
ख) जी.पी.एफ. से अग्रिम/आहरण	5207499	0	5207499	4530200	0	4530200
ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अग्रिम	472426	0	472426	0	0	0
घ) किसी अन्य को अग्रिम	0	0	0	0	0	0
VII. अन्य भुगतान						
क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन	0	0	0	0	0	0
ख) मूलधन की वापसी (ए.डी.बी./केएफडब्ल्यू ऋण)	879157964	879157964	0	902098171	902098171	0
ग) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	0	0	0	0	0	0
घ) बयाना/सुरक्षा जमा	0	0	0	140000	140000	0
ङ) उधारकर्ता अभिकरणों (एजेंसियों)/बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती	232708597	0	232708597	180909587	0	180909587
च) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	25744	0	25744	27255	0	27255
छ) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	8466176	0	8466176	5003465	0	5003465
ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	856831	0	856831	410516	0	410516
झ) नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	1157537	0	1157537	727597	0	727597
ञ) आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए भुगतान	990	0	990	0	0	0
VIII. अंतिम शेष						
क) हाथ में रोकड़	0	0	0	0	0	0
ख) बचत खाते में बैंक शेष	10246902794	10246902794	0	3085188020	3085188020	0
ग) पी एफ. बचत खाते में बैंक शेष	114229	114229	0	663470	663470	0
घ) एन पी.एस. बचत खाते में बैंक शेष	520	520	0	1410	1410	0
योग	22845235442	22087673424	757562018	75855275815	75195457152	659818663

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव



अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)</u>		
वर्ष के शुरु में शेष	52018633411	48038828070
जोड़ें: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान	500000000	500000000
जोड़ें: व्यय पर निवल आय से अंतरण	3112405340	3479805341
जोड़ें: बी.आर.आर. से अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	55631038751	52018633411

अनुसूची-2

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>विशेष आरक्षित</u>		
1. बांड विमोचन (रिडम्प्शन) रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान जमा	0	0
घटाएं: रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड निधि फंड में कर योग्य बांड के विमोचन के पश्चात् अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	0	0

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव



अनुसूची -3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

निर्धारित (एंडोमेंट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) आरआरटीएस कॉरीडोर की डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	1400	1400
जोड़े: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	0	0
उप योग	1400	1400
(ख) आरआरटीएस अध्ययन हेतु किए गये व्यय		
- परामर्शदाता को आर.आर.टी.एस. अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	0	0
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख)	1400	1400

अनुसूची-4

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निजी स्थापित बांड		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बॉण्ड	0	0
योग	0	0

अनुसूची-5

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

असुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	4110281994	3870545692
ख) के.एफ.डब्लू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	5813471999	6216191999
योग	9923753993	10086737691

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

वर्तमान देयताएँ व प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
साम्बन्धिक देयताएँ		
1. सामान्य भविष्य निधि	46553115	41809788
2. जीआईएस निधि	2176	1935
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों से वसूली	278890	0
4. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)	821745	2082457
5. अतिदेय	0	0
6. एनपीएस में बोर्ड का योगदान	602760	678351
उप योग	48258686	44572531
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण पर ब्याज जमा	15473743	18046648
2. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	25839829	30551316
उप योग	41313572	48597964
अन्य वर्तमान देयताएँ		
1. देय खर्च	5897492	9622874
2. बयाना	0	0
3. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) से ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	3419670	542602
4. अग्रिम ब्याज प्राप्ति	122055	122055
उप-योग	9439217	10287531
प्रावधान:		
1. <u>कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए</u>		
क) ग्रेच्युटी	32182278	30116300
ख) पेंशन (वर्तमान)	6802038	6365372
ग) पेंशन (सेवा निवृत्त)	309302137	289446132
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	29798003	27885086
ड:) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान)	665277	622569
च) चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त)	51627228	48312960
उप-योग	430376961	402748419
2. <u>रा.रा.क्ष. सेल हेतु देय व्यय का प्रावधान</u>	55536859	41552760
उप-योग	55536859	41552760
3. <u>अन्य प्रावधान</u>		
क) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार	0	0
उप-योग		
कुल योग	584925295	547759205

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्तियों का विवरण

अनुसूची 7

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास			निवल ब्लॉक			
	दिनांक 01.04.2020 को हासिल मूल्य	180 दिन पूर्व सम्बर्धन	180 दिन बाद सम्बर्धन	वर्ष के दौरान कुल सम्बर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत	दर	वर्ष के शुरु के अनुसार	वर्ष के दौरान संबर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल योग	दिनांक 31.03.2020 को हासिल मूल्य	दिनांक 31.03.2019 को हासिल मूल्य
कार्यालय स्थान आईएचसी	3351012	0	0	0	0	3351012	10%	335101	0	335101	3015911	3351012
वाहन	844365	0	0	0	0	844365	15%	126655	0	126655	717710	844365
फर्नीचर/फिक्सचर	678107	39885	54103	93988	0	772095	10%	67811	6694	74505	697590	678107
कार्यालय उपकरण	772795	79411	3665	83076	0	855871	15%	115919	12187	128106	727765	772795
कम्प्यूटर/पैरीफरल	687420	75000	248000	323000	0	1010420	40%	274968	79600	354568	655852	687420
पुस्तकालय की पुस्तकें	10610	360	28643	29003	0	39613	40%	4244	5873	10117	29496	10610
योग	6344309	194656	334411	529067	0	6873376		924698	104354	1029052	5844324	6344309
पूर्ववर्ती वर्ष	7434905	73460	29926	103386	0	7538291		1167975	26007	1193982	6344309	7434905

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव



अनुसूची 8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	34,11,385	34,11,385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	4,19,08,900	3,64,00,000
3. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	4,40,935	12,75,996
सेविंग बैंक में जमा राशि	1,14,229	6,63,470
उप योग	4,58,75,449	4,17,50,851
(ख) सेवानिवृत्ति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	26,67,46,242	37,30,00,000
निवेश पर जमा ब्याज	1,06,05,760	1,51,74,374
उप योग	27,73,52,002	38,81,74,374
सकल योग	32,32,27,451	42,99,25,225

अनुसूची 9

31.3.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

निवेश - योगदान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में योगदान	5,00,00,000	5,00,00,000
सकल योग	5,00,00,000	5,00,00,000

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)	सदस्य सचिव



अनुसूची 10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	2,49,858	2,50,459
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	1,36,813	1,32,052
3. विविध देनदार:		
क) अशोध्य और संदिग्ध ऋण	98,361	98,361
उप योग	4,85,032	4,80,872
4. हाथ में नकद शेष	0	0
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- बचत खाता/चालू खाता	2,08,26,311	3,08,51,88,020
- पूर्वदत्त कार्ड (कॉर्पोरेशन बैंक)	0	0
- निवेश (एफडीआर) - अन्य	10,22,60,76,483	7,60,00,00,000
उप योग	10,24,69,02,794	10,68,51,88,020
योग (क)	10,24,73,87,826	10,68,56,68,892
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	1,950	1,950
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	52,000	52,000
ii) एलटीसी अग्रिम	0	1,30,555
iii) विविध अग्रिम	1,31,159	1,01,495
उप-योग	1,83,159	2,84,050
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों	52,42,89,11,932	48,97,68,15,565
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	20,725	17,478
ख) वसूली योग्य अग्रिम आयकर और स्रोत पर कर (टीडीएस) (कर का निवल प्रावधान)	1,12,18,79,330	93,55,31,566
ग) सेमिनार/बैठक अग्रिम	2,07,689	2,19,600
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	12,648	14,648
ड) प्राप्त होने वाला आरटीआई शुल्क	520	1,410
उप योग	1,12,21,20,912	93,57,84,702
3. उपार्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज	41,23,86,530	5,42,93,135
ख) कार्यान्वयन एजेंसियों व राज्यों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज	1,54,95,69,857	1,50,49,07,230
ग) स्टाफ ऋण पर अर्जित ब्याज	61,893	2,92,161
घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज	23,605	88,14,488
उप-योग	1,96,20,41,885	1,56,83,07,014
कूल (ख)	55,51,32,59,838	51,48,11,93,281
कूल (क+ख)	65,76,06,47,664	62,16,68,62,173

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2020 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूँजी		
1 सावधि जमा पर:		
a) अनुसूचित बैंकों के पास	78,73,02,857	69,89,81,611
b) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
c) संस्थानों के पास	0	0
d) अन्य	0	0
2 बचत खातों पर:		
a) अनुसूचित बैंकों के पास	1,79,90,591	6,46,93,760
b) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
c) डाकघर बचत खाते	0	0
d) अन्य	0	0
3 ऋणों पर:		
a) राज्य सरकार/उनके अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	3,42,48,55,946	3,14,75,19,635
b) कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	7,187	1,97,350
c) राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	0	81,011
d) आयकर वापसी पर ब्याज	2,05,20,493	0
योग	4,25,06,77,074	3,91,14,73,367

31.3.2020 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूँजी		
a) विविध आय	0	2,000
b) अत्यधिक प्रावधान	58,59,486	0
c) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान	0	0
d) राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क	0	0
e) भर्ती के लिए शुल्क	21,701	5,100
उप योग	58,81,187	7,100
आय		
f) पी.एफ./एन.पी.एस./सेवा निवृत्ति लाभ के निवेश पर आय		
पीएफ निवेशों पर ब्याज	5,48,991	28,48,066
सेवा निवृत्ति निधि के निवेश पर ब्याज	2,53,40,071	2,13,02,503
पीएफ के बचत खातों पर ब्याज	36,096	1,50,016
एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	0	0
g) भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	0	16,100
h) स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली	7,700	5,600
i) आरटीआई शुल्क	-350	2,096
j) विविध आय	0	2,360
उप योग	2,59,32,508	2,43,26,741
कुल	3,18,13,695	2,43,33,841

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव

ह/-



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2020 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

	(राशि ₹ में)	
स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पंजी		
क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	1,02,02,834	75,62,953
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान	4,35,19,326	4,15,52,760
उपयोग	5,37,22,160	4,91,15,713
आय		
वेतन	2,78,51,453	3,26,89,276
भत्ते एवं बोनस	1,47,07,748	1,12,96,160
एनपीएस में योगदान	6,15,418	6,38,885
अन्य		
लीव सैलरी एवं पेंशन योगदान	0	5,47,180
जीपीएफ खाते पर ब्याज	34,26,805	29,24,598
भर्ती व्यय	10,88,606	2,65,927
संपदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क	3,69,453	2,01,605
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	3,718	40,609
प्रावधान		
ग्रेचुइटी का प्रावधान	37,94,478	25,14,958
संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	30,10,377	44,14,319
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	65,84,900	70,50,993
पेंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	2,17,57,369	89,10,218
चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान	8,76,563	45,57,495
चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	33,14,269	59,61,352
उप-योग	8,74,01,157	8,20,13,575
कुल	14,11,23,317	13,11,29,288

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूंजी		
एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0
अध्ययन और सर्वेक्षण	11,33,000	94,615
विज्ञापन और प्रचार	0	1,01,446
बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	68,19,718	1,03,544
लेखा परीक्षा शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	0	0
संगोष्ठी और प्रशिक्षण	0	0
प्रोफेशनल शुल्क	35,21,191	37,15,942
यात्रा प्रभार (योजना)	1,02,069	0
हाउस कीपिंग सेवाएँ	35,41,867	41,21,434
उप-योग	1,51,17,845	81,36,981
आय		
विद्युत एवं जल प्रभार	2,00,220	1,97,595
हाउसकीपिंग/सिक्युरिटी प्रभार	4,52,328	9,07,085
मरम्मत एवं रखरखाव	19,49,279	21,53,185
किराया, दर एवं कर	6,36,986	33,06,326
वाहन चलाने और रखरखाव	3,88,384	4,14,667
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	12,64,576	9,71,994
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	6,15,941	7,67,489
यात्रा और वाहन व्यय	2,25,180	5,37,049
संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर खर्च	53,790	80,240
कानूनी शुल्क पर खर्च	19,83,678	4,34,806
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	94,400	4,38,760
आतिथ्य व्यय	7,15,576	3,80,633
प्रोफेशनल शुल्क	5,44,380	21,52,946
अन्य	1,82,619	3,21,068
उप-योग	93,07,337	1,30,63,843
कुल	2,44,25,182	2,12,00,824

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)		
बाजार उधारी पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूँजी		
क) बॉन्ड पर ब्याज़	0	0
ख) लिस्टिंग शुल्क	0	0
ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	0	0
घ) ट्रस्टीशिप फीस	0	0
ड) पीएमसी सेवाओं पर व्यय	0	80,36,425
च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	0	0
छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	0	886
ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	21,15,05,063	21,28,91,856
झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	0	42,12,790
ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	71,61,74,265	3,54,03,075
ट) एनएसडीएल/सीएसडीएल प्रभार	0	0
ठ) भुगतान पर बैंक प्रभार (डाक एवं अन्य)	30,706	93,303
ड) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क	12,10,40,852	9,79,41,012
कुल	1,04,87,50,886	35,85,79,347

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)		
पूर्वअवधि व्यय (निवल)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	57,57,516	41,19,865
ख) एनसीआर सेल (वापस किए गए प्रावधान)	0	-37,80,846
ग) बॉण्ड पर ब्याज़-2002-03 (IACL)	0	-2,02,500
घ) बयाना रकम	0	-4,96,965
ड) प्रतिबद्धता शुल्क, हरियाणा	0	-1,40,358
कुल	57,57,516	-5,00,804

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2020 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियाँ।

1. लेखा संविदः

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोद्घवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के खातों को लेखापरीक्षा के प्रमुख निदेशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी खातों के प्रारूप में बनाया गया है।

ग) वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है।

घ) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, जहां "अंशदान" अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना निधि में हस्तांतरित किया जाता है और अनुदान-सहायता (सामान्य और वेतन) का उपयोग इसके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

2. आय निर्धारण

क) सभी आय को प्रोद्घवन आधार पर खातों में समाविशित किया गया है।

ख) पिछले वर्षों से संबंधित आय को अलग से पूर्व-अवधि मदों में लिया गया है।

3. व्यय की मान्यता

क) कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों/प्रतिपूर्तियों, जो नकद में लिए जाते हैं, के अलावा सभी व्ययों को प्रोद्घवन आधार पर लिया गया है;

ख) सभी पूर्व-अवधि व्यय जिनको चालू वर्ष में किया गया है उन्हें अलग कर पूर्वावधि व्यय (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. अचल परिसम्पत्तिः

क) अचल परिसम्पत्तियाँ मूल्यहास घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई है;

ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

5. अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार हासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। मूल्यहास की दर अनुसूची 7 में दर्शायी गई है।

6. सेवा निवृत्ति लाभ:

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों, सेवा-निवृत्त व उनके आश्रितों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाओं/लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से तैयार किए जाते हैं।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई हैं और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है।

ग) नई पेंशन योजना निधि:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने दिनांक 17.08.2009 के का.जा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड में आवश्यक पंजीकरण कराया गया। नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सीआरए मुम्बई को अंतरित की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड ने एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली ताकि किसी भी तरह की देयता को उत्पन्न होते ही पूरा किया जा सके। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती करके हर महीने एलआईसी को भेजता है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और इस्तीफे पर, उनके दावों को एलआईसी को अग्रेषित किया

जाता है, जिससे पॉलिसी के तहत ब्याज सहित बचत लाभ एवं बीमा कवर, जहां कहीं भी लागू हो, का भुगतान किया जा सके ।

7. इवेंटरी (रहतिया):

(क) एनसीआर पुस्तकें एवं प्रकाशन:- बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय-व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन एवं सर्वेक्षण:

अध्ययनों और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए जाते हैं।

9. निर्धारित/एंडोमेंट निधि:

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आरआरटीएस के तीन कोरीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंतर्गत मंत्रालय की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को अलग से निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी एनसीआर सेल द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद सभी चार एनसीआर सेल को निर्धारित सीलिंग के अनुसार कार्यालय के आवर्ती खर्चों तथा वेतन और भत्ते के भुगतान की सभी लागतों की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया जा रहा है, तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त होते हैं तो इसके लिए एन.सी.आर. प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। एनसीआर सेल के दावों के लिए अगले 4 वर्षों की प्रतिपूर्ति की निरंतरता यथा 31.03.2021 तक बोर्ड द्वारा अपनी 04.12.2017 को सम्पन्न 37वीं बोर्ड बैठक में

अनुमोदित की गई थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 08.01.2018 के पत्रांक जी-25020(1)/2003-04/NCRPB-VOL-V के द्वारा जारी किया गया था ।

11. आयकर:

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के आदेश सं डीजीआईटीई(ई)10(23सी)(iv)/2008 दिनांक 02.05.2008 के द्वारा वर्ष 2003-04 के बाद से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी)(iv) के उप खण्ड(iv) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएं जो पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं की गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। ये अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे। चूंकि कोई भी कार्यान्वयन निकाय निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाया इसलिए अनुदान जारी नहीं किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यय को अनुसूची 18 में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. बाह्य मुद्रा में लेन देन:

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन का लेखा लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर में तथा केएफइब्ल्यू से यूरो में लिए गए ऋण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया है तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि में आय/व्यय को प्रभारित किया गया है।

ह/-

सहायक निदेशक (वित्त)

ह/-

निदेशक (प्रशा.एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव

दिनांक : 29 जून, 2020

स्थान : नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. आकस्मिक देनदारियाँ

अनुसूची-17 के पैरा 12 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹8.76/- करोड़ की आकस्मिक देनदारियों का आकलन किया गया, जो कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर ही देय है। चूंकि, इस तरह की कोई भी परियोजना अनुदान के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 में परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई थी, अतः ₹8.76 करोड़ को आकस्मिक देयता में से हटा दिया गया था।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदानों के प्रति एक नए आकस्मिक दायित्व का मूल्यांकन किया गया था जो ₹4.68/- है।

2. पूर्व अवधि व्यय:

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, अलग ऑडिट रिपोर्ट नंबर-DD-II/वार्षिक A/c. NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांक 10.10.2013 के अनुपालन में, पूर्व-अवधि मर्दे आय और व्यय खातों में लाइन के नीचे अलग से दिखाई गई है। वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

क) वित्त वर्ष 2018-19 में एनसीआर सेलों पर किए गए प्रावधान से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जिसे वित्त वर्ष 2019-20 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि व्यय के मद में लिया गया है।

राजस्थान सेल - ₹57,09,972/-

हरियाणा सेल - ₹41,926/-

ख) **अन्य:** वार्षिक सदस्यता के लिए भारत पर्यावास केंद्र को ₹5,618 के व्यय का प्रावधान पूर्वावधि व्यय में दिखाया गया है (अनुसूची-16)।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, संबंधित एनसीआर सेल/ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद एनसीआर सेल पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति बोर्ड कार्यालय द्वारा की जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष के समापन और वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड को दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त पिछले

दावों/भुगतान के आधार पर वार्षिक खाते में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, 31.3.2020 तक देय वार्षिक राशि के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची-6 में 31.3.2020 तक देय एनसीआर सेल के खर्च के लिए ₹5,55,36,859/- का प्रावधान किया गया है।

- ख) वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:
- (i) **हरियाणा सेल:** वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा सेल को देय खर्चों का प्रावधान ₹1,39,78,377/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, ₹1,40,20,303/- का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹41,926/- पूर्व अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।
- (ii) **उत्तर प्रदेश सेल:** वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश सेल को देय व्यय का प्रावधान ₹1,58,02,865/- था, जिसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उ.प्र. सेल से इस खर्च की मदों के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हालांकि इस बिल के विरुद्ध भुगतान की वास्तविक राशि, ₹37,85,332/- की कटौती के पश्चात, ₹1,20,17,533/- है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत व सत्यापित दावों, जिनका 2019-20 में भुगतान नहीं हो पाया, के आधार पर उक्त प्रावधान को वापस ले कर ₹2,40,35,066/- (वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20 प्रत्येक के लिए ₹1,20,17,533/-) का नया प्रावधान किया गया है।
- (iii) **राजस्थान सेल:** राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2018-19 में ₹96,97,364/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में ₹1,54,07,336/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹57,09,972/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।
- (iv) **दिल्ली सेल:** दिल्ली सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2018-19 में ₹20,74,154/- का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में कोई भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि पद रिक्त होने के कारण दिल्ली सेल से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रावधान को वापस ले ₹20,74,154/- का नया प्रावधान किया गया है।
- (ग) वित्त वर्ष 2019-20 में निम्न रूप से एनसीआर सेल व्यय के लिए ₹5,55,36,859/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	-	₹1,54,07,336.00
उ.प्र.	-	₹2,40,35,066.00
हरियाणा	-	₹1,40,20,303.00
दिल्ली	-	₹20,74,154.00
कुल	-	₹5,55,36,859.00

दिनांक 31.3.2020 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को देय व्यय का कुल प्रावधान ₹5,55,36,859/- किया गया है ।

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 02.05.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2017-18 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

तथापि, वर्ष 2019-20 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियों)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर ₹31,07,14,451/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2020 तक, बैंकों द्वारा निवेशों पर काटा गया टीडीएस ₹7,94,71,150/- तथा ₹23,12,43,301/- रा.रा.क्षे.यो.बो. से ली गई वित्तीय सहायता पर ब्याज भुगतान पर भागीदार राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कटौती की गई। अतः ₹31,07,14,451/- की राशि को गत वर्ष के शेष में जोड़ दिया गया जो कि ₹93,55,31,566/- हो गई। साथ ही ₹12,43,66,687/- की कटौती प्राप्त हुई जो कि वर्ष 2015-16 के आयकर रिफंड से सम्बंधित है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची-10 में शीर्ष "अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि" के तहत ₹1,12,18,79,330/- दर्शाया गया है।

जैसा कि अनुसूची 10 में उल्लिखित है, ₹1,12,18,79,330/- वर्ष 2019-20 तक अग्रिम आयकर/टीडीएस के नाम पर वसूली योग्य है। इस वसूली योग्य राशि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रस्तुतियाँ आयकर प्राधिकरण को भेज दिया गया है तथा प्रक्रियाधीन है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) एशियाई विकास बैंक: दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार 31.3.2020 को लागू प्रचलित दर के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा में \$54.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹376.98 करोड़) था। 2019-20 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹34.05 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, एडीबी ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन ₹411.03 करोड़ है, जिसमें अनुसूची 5 में दर्शायी गई ₹96.2232 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (डॉलर बनाम रूपया) शामिल है।

(ख) के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी): दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. से उठाए गए बकाया ऋण/उधार 31.3.2020 को लागू प्रचलित दर के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा में €70.00 मिलियन (₹618.92 करोड़) था। 2019-20 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹37.57 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर, "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है व आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन, ₹581.35 करोड़ दिखाया गया, जिसमें अनुसूची 5 में ₹71.8850 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (यूरो बनाम रूपया) शामिल है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय – पूंजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची 13 में स्थापना व्यय (पूंजी) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹1,02,02,834/- बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.01.2011 के द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए हैं जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक उपार्जन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (पूंजी/योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा आय/गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोद्घवन से सभी खर्च पूर्ण करता है।

7. निवेश: इक्विटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.07.2013 को मंजूरी दी गई। दिनांक 01.08.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.08.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे। एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंभिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने हैं :-

क्रम सं	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा(%)	रकम (करोड़ ₹ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.50%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.50%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.50%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.50%	12.50
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5.00%	5.00
	कुल	100.00%	100.00

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ (5%) की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके

अनुरूप एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात् 250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 4,99,750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

8. 31.3.2020 के अनुसार राज्य सरकार को जारी ऋण/अग्रिमों की बकाया राशि ₹52,42,89,11,932/- है जो अनुसूची-10 में दर्शाई गई है:

राज्य	रकम (₹करोड़ में)
राजस्थान उपक्षेत्र & सीएमए	1811.21
उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र	1891.93
हरियाणा उपक्षेत्र	1181.21
दिल्ली	13.33
कुल	4897.68

9. खराब और संदिग्ध ऋण:

क) ₹98,361/- को "खराब और संदिग्ध ऋण" के तहत दिखाया गया है, जो कि 10 वर्षों से अधिक से अप्राप्य है।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ें, जहां आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

दिनांक : 29 जून, 2020

स्थान : नई दिल्ली